न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी गोपाल लाल मीणा (आर.ए.एस.)

प्र0 सं. 61 / 16
दायरा दिनांक :– 16.09.2016
निर्णय दिनांक :– 26.10.2017

बउनवान

1. माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा नाबालिग जर्ये पुजारी रमेशचन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र बाल मुकन्द जाति बैरागी निवासी माधोपुरा , तहसील किशनगंज।
2. रामचरण उमग्र 58 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
3. जगदीश उम्र 38 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
4. हीरालाल उम्र 55 वर्ष पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा , तहसील किशनगंज।
5. रामगोप उम्र 48 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा , तहसील किशनगंज।
6. जीतमल उम्र 23 वर्ष पुत्र देवकरण जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
7. मुकुट बिहारी उम्र 32 पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
8. हंसराज उम्र 35 वर्ष पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
9. जगदीश उम्र 30 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
10. कालूलाल उम्र 54 वर्ष पुत्र गोबरीलाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
11. पप्पू उम्र 35 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
12. मुरारी उम्र 28 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामपाल उम्र 45 वर्ष पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
2. घनश्याम उम्र 40 वर्ष पुत्र चतरा ताति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
3. मैना बाई उम्र 20 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी झाडोल तहसील पीपल्दा।
4. फोरन्ती बाई उम्र 32 वर्ष पुत्री हीरालाल पत्नी हेमन्त पुत्र रामगोप जाति मीणा निवासी धनवाडीयो का पीपल्दा तहसील अन्ता।
5. मनभर बाई उम्र 48 वर्ष बेवा हीरालाल जाति मीणा निवासी माधोपुरा, तहसील किशनगंज।
6. राज0 सरकार जर्ये तहसीदार किशनगंज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 212 **R.T.A.**

निर्णय दिनांक 26.10.2017

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 **R.T.A.** में वाद पत्र के साथ जर्ये अभिभाषक श्री एन.के. शर्मा इस आशय का प्रस्तुत हुआ के ग्राम माधोपुरा प0मं0 पीपल्दाकलां की भूमि मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी विराजमान माधोपुरा नाबालिग के खातेदारी एवं कब्जे काश्त

की आराजी सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 तक माफी आराजी खाता सं0 नई 61 पुरानी ख0नं0 43 रकबा 5.10 बीघा, ख0नं0 115 रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 6.01 बीघा दर्ज थी। जिसके सेटलमेंट के प्श्चात् खाता सं0 28 नयी पुरानी 53 के ख0नं0 54 रकबा 5.00 बीघा, ख0नं0 10 रकबा 0.17 बीघा कुल रकबा 5.17 बीघा कर दिये है। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट नर्द जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2035 तैयार करते वक्त माफि मन्दिर के खातेदारी की आराजी मे से मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा का नाम हटाकर अप्रार्थीगणें के पूर्वज मृतक चतरा पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी माधोपुरा का नाम खातेदारी में दर्जकर दिया। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी की उपरोक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित आराजी पर अज्ञात काल से लेकर वर्तमान तक मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से लगातार एवं निरन्तर चला आ रहा है। इस वर्ष उपरोक्त आराजी का फसल खराबा का मुआवजा मन्दिर पुजारी को देने से इन्कार करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी की न होकर अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। दौराने सेटलमेंट माफी आराजी के राजस्व रेकॉर्ड से मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा का नाम अवैधानिक रूप से खिलाफ कानून एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के विधिक आदेश के अपने अधिकार क्षेत्र से बहार माफी मन्दिर मूत्रि श्री ठाकुर महाराज के स्थान पर अप्रार्थीगणों के पूर्वज चतरा पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी माधोपुरा के नाम दर्ज कर दी गयी है। मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा शाश्वत नामालिग है। माफि मन्दिर की आराजी पर कानूनन किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते।

अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण खातेदारी की आढ़ लेकर मन्दिर की भूमि में खडी सोयाबीन की फसल जबरन काटने एवं प्रार्थीगणों को झूठे

मुकदमेंबाजी में फंसाने की एवं अन्यत्र बेचान व खुर्द –बुर्द करने की गांव में एलानियां धमकिया दे रहे है। जिसके कारण मनिदर की उक्त भूमि कब्जे काश्त व टीनेन्सी हक हकूकां बने माफी खतरा उत्पन्न हो गया है। मप्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा को अपने हिस्से की रक्षार्थ न्यायालय की शरण आवश्यक हो गई है। अस्तु मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा की आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को जर्ये अस्थई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे। प्रार्थीगण जर्ये मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज के खाते एवं कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी नियत पेशी पर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रा0पत्र इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की है। उक्त आराजी कहीं भी मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान माधोपुरा के खातेदारी में दर्ज नही है। उक्त आराजी माफी की थी जो माफी रिंज्यूम होने के कारण चतरा वल्द नारायण कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज की गई हैं ।जिसे जायज अर्सा 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। जिस पर प्रार्थीगण को कोई आपत्ति करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। न ही वादी/प्रार्थी क्रम 1 रमेश चन्द पुत्र बालमुकुन्द रजिस्टर्ड पुजारी है। मन्दिर की सेवा पूजा के लिए गांव से प्रतिवर्ष चन्दा एकत्रित करके सेवा पूजा व भोग की व्यवस्था की जाती रही है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योगय नही है। उक्त आराजी चतरा के समय से ही उनके कब्जे काश्त में उनके देहान्त के बाद अप्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व में चली आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थीगणों को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम माधोपुरा में मन्दिर मूर्ति खाते की भूमि है। दौराने सेटलमेंट में मन्दिर मूर्ति की भूमि बिना

किसी आदेश के अन्य की खातेदारी में दर्ज कर दी है। जो गलत है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होता है। कब्जा वर्तमान में मनिदर का ही है। R.R.D.2010 मूर्ति मनिदर श्री नृसिंह जी महाराज बनाम नन्दराम पेज नं0 193 मन्दिर की भूमि के हितों की रक्षा सरकार को करनी चाहिए। माफी मन्दिर की भूमि खातेदारी देने का अधिकार नही है। रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति देखने के बनाये रखे। कोर्ट में जवाब दावे में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। आदेश (32) को सुना जाना चाहिए था। आप क्रं0स मन्दिर के पुजारी भी नही है। आपका लम्बे समय से कब्जा साबित नही होता है। मन्दिर मूर्ति के हितों की रक्षा हाना चाहिए।

हमने विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड़ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 2011 की छायाप्रति अनुसार ग्राम माधोपुरा की भूमि खं0 न0 43 रकबा 5.10 बीघा, ख0न0 115 रकबा 0.11 बीघा कुल रकबा 6.01 बीघा पर माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान ग्राम माधोपुरा गोलाल दास बेटा बालादास जाति बैरागी वास गांव इं0न0 306 अंकित है। सम्वत् 2012 से 2015 में उक्त भूमि माफी मंन्दिर श्री ठाकुर जी विराजमान मंगला बेटा वास किशनाईपुरा जाति ब्राहम्ण अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2035 में ख0 न0 54 रकबा 5 बीघा ख0न0 60 रकबा 0.17 बीघा चतरा वल्द नारायण कौम मीणा सा0 देह अंकित जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 अनुसार ख0न0 10 रकबा 0.17 बीघा ख0न0 54 रकबा 5.00 बीघा पर रामपाल घनश्याम पुत्र चतरा हिस्सा 2/3 शिवराज पुत्र हीरालाल, मीना बाई , फोरन्ती बाई पुत्री हीरालाल मनभर बेवा हीरालाल हिस्सा 1/3 कौम मीणा के नाम अंकित है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.10.2017 अनुसार वर्तमान में विवादित भूमि पर मंदिर के पुजारी के कब्जे काश्त में होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में भी खातेदारी अधिकार एवं अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र की है। हक दावे में तय होते है। प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु सुनवायी की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ता फैसला बाद तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज